


तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रामलाल यादव बनाम श्रीमती नारंगी देवी 460/17 (आरसीएमएस नं. 2017/00424)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
09.10.18	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्त अनुपस्थित। प्रकरण में आवाज दिलवाई गई फिर भी अपीलान्त की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं, प्रकरण में पुनः रुक रुककर आवाजें दिलवाई गई इसके उपरान्त भी अपीलान्त की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण वर्ष 2017 से विचाराधीन चल रहा है तथा अधिवक्ता अपीलान्त पूर्व में भी अनुपस्थित रहे हैं तथा इसके लिये उन्हें अंतिम अवसर भी दिया गया है इसके बावजूद आज भी अधिवक्ता अपीलान्त अनुपस्थित है और अपीलान्त की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं होने के कारण अपील अपीलान्त अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।</p> <p>अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्त अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा पत्रावली बाद तकमील जाबता दाखिल दफ़तर हो। आदेश सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">  (टी०र०बिकान्त) संभागीय आयुक्त, जयपुर। </p>	